

प्रेषक,
आर0वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2021

विषय:-डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 प्रवेश/चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-गोप0/डी0एल0एड0-21/2487-90/2021-22 दिनांक 14.09.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 में काउंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही एक चरण में सम्पादित कराये जाने हेतु समय-सारिणी का प्रस्ताव संलग्न कर प्रस्तावित समय-सारिणी के अनुसार शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-9/2021/402/अरसठ-4-2021-9(3)/2021, दिनांक 16.06.2021 के प्रस्तर-2 में अंकित तालिका के बिन्दु संख्या-6 से 11 के अनुसार काउंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय-सारिणी/कार्यवाही को निरस्त करते हुए गतिमान डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2021 में काउंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही एक चरण में सम्पादित कराये जाने हेतु निम्नलिखित समय-सारिणी पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

1	अभ्यर्थियों के वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्प के क्रम में एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग।	दिनांक 22 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक
2	काउंसलिंग के प्रथम चरण के अन्तर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जाँच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना सम्बन्धित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड (रिपोर्ट/लॉक) किया जाना।	दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 तक
3	प्रशिक्षण प्रारम्भ	दिनांक 11 अक्टूबर 2021 से

3- शासनादेश संख्या-9/2021/402/अरसठ-4-2021-9(3)/2021 दिनांक
16.06.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित/निरस्त समझा जाय।

भवदीय,

(आर०वी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
 2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
 3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
 4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
 5. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
 6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धर्मन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।